

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की अद्यतन स्थिति माह 05/2019

क्रमांक	वादों की स्थिति	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0लोक सेवा अधिकरण	मा0 श्रम न्यायालय	अन्य	योग	अवमाननावाद
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	कुल लंबित वाद	65	4241	623	497	1919	7345	416
2	प्रतिशपथपत्र दाखिल	50	4012	612	491	1862	7027	402
3	कुल अवशेष वाद	15	329	11	6	57	418	14
4	आवश्यकता नहीं	3	102	2	1	6	114	3
5	अवशेष वाद	12	127	9	5	51	204	11

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिसासी अभियन्ता(वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(वि0प्र0)

22	मु0अ0, अनु0एवं नियो0(बाढ़) लखनऊ	-	-	-	-	4	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
23	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ	-	-	-	-	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, अनु0एवं मूल्यांकन लखनऊ	-	-	-	-	1	1	0	-	2	2	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-
26	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	53	40	10	3	2973	2790	100	83	476	466	8	2	381	375	5	1	1769	1717	48	4
	यांत्रिक संगठन																				
1	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	5	4	1	-	307	304	3	-	33	33	0	-	9	9	-	-	36	36	-	-
2	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	3	2	1	-	346	333	11	2	26	25	1	0	24	24	-	-	44	42	2	-
3	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	1	1	-	-	282	278	4	-	41	41	0	-	31	31	-	-	30	30	0	-
4	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	3	3	-	-	256	230	9	17	39	39	0	-	24	24	0	-	30	27	1	2
5	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	-	-	-	-	77	77	0	-	8	8	0	-	28	28	0	-	10	10	-	-
	योग	12	10	2	0	1268	1222	27	19	147	146	1	0	116	116	0	0	150	145	3	2
	महायोग	65	50	12	3	4241	4012	127	102	623	612	9	2	497	491	5	1	1919	1862	51	6

कुल लम्बित वाद- 7345

प्रतिशपथ
दाखिल- 7027

अवशेष- 204

आवश्यकता
नही- 114

प्रतिहस्ताक्षरित

(अशोक कुमार
सिंह)

मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

अधिशासी अभियन्ता (वि0 प्र0)

24	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, अनु0एवं मूल्यांकन लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	0	0	0	0	247	239	6	2	51	45	5	1	0	0	0	0	4	4	0	0
	यांत्रिक संगठन																				
1	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	-	-	-	-	34	34	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	-	-	-	-	13	13	-	-	2	2	0	-	-	-	-	-	1	1	-	-
3	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	-	-	-	-	25	25	0	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	0	-	-	-	13	13	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	-	-	-	-	12	12	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	0	0	0	0	97	97	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	महायोग	0	0	0	0	344	336	6	2	67	61	5	1	0	0	0	0	5	5	0	0

कुल लम्बित वाद – 416

प्रतिशपथ-पत्र
दाखिल-

402

अवशेष 11

आवश्यकता नहीं – 3

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

अधिशायी अभियन्ता(वि0 प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)

अधीक्षण अभियन्ता(विधि
प्रकोष्ठ)

21	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अयोध्या	8	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
22	मु0अ0, अनु0एवं नियो0(बाढ़) लखनऊ	6	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
23	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ	4	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
24	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	2	1	0	1	-	-	-	-	1	-	-	-
25	मु0अ0, अनु0एवं मूल्यांकन लखनऊ	3	3	3	0	0	0		0	-	-	-	-
26	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	350	350	302	48	42	5	-	-	1	-		
28	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	443	52	38	14	19	10	9	-	-	-	-	-
29	मु0अ0, नलकूप मध्य, लखनऊ	505	126	79	47	43	0	0	4	0	-	-	-
30	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	40	40	19	21	-	-	-	-	-	-	-	-
31	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	44	44	24	20	4	12	1	2	1	-	-	-
	योग	2701	1153	930	223	116	27	10	9	7	0	6	0

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

अधिशाली अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)

अधीक्षण अभियन्ता(विधि
प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

न्यायालय वार अवमाननावादों का विवरण जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है। माह 05/2019

क्रमांक	संगठन का नाम	मा0 सवोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	श्रम न्यायालय	अन्य न्यायालय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य अभियन्ता(शा0सहा0), लखनऊ	0	1	0	0	0	1
2	मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), झांसी	0	2	0	0	0	2
3	मुख्य अभियन्ता (राम गंगा), कानपुर	0	2	2	0	0	4
4	मुख्य अभियन्ता (सोन) वाराणसी	0	1	3	0	0	4
योग		0	6	5	0	0	11

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशारी अभियन्ता (वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
अवशेष अवमाननावादों की सूची माह 05/2019 तक जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हुआ है।

क्र० सं०	मण्डल/ खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ।									
मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ									
1	रायबरेली खण्ड (दक्षिण) शारदा नहर रायबरेली	65/सी/2012	शिव बरन व अन्य	श्री दीपक सिंघल प्रमुख सचिव व अन्य	मूलवाद-2899/एस०एस०/2012	मस्टरराल वर्कचार्ज सेवा के आधार का जी०पी०एफ० कटौती।	-	अधि० अमि०रा०ख०द०शा०न० रायबरेली ने अपने पत्रांक-3564/दिनांक- 20.12.2018 द्वारा अवगत कराया है कि प्रशनगत अवमाननावाद में दिनांक-09.01.2013 को प्रतिपक्षी संख्या-02, श्री अशोक कुमार ओझा, प्रमुख अमि० एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई तथा प्रतिपक्षी सं०-03, श्री शशिकान्त शर्मा, मु०अ० शा०सहा० के नाम नोटिस निर्गत की गई थी। उक्त दोनों अधिकारी, सेवा निवृत्त हो चुके हैं। फलस्वरूप मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में मुख्य स्थायी अधिवक्ता इलाहाबाद बेंच लखनऊ से वर्तमान में कार्यरत प्रतिपक्षी सं०-02 के स्थान पर श्री विनय कुमार राठी, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग तथा प्रतिपक्षी संख्या-03 के स्थान पर श्री राकेश कुमार गुप्ता मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) के नाम संशोधित नोटिस निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है। संशोधित निर्गत नोटिस के उपरान्त ही प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जाना सम्भव हो सकेगा।	-
मुख्य अभियन्ता (परियोजना-बेतवा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, झाँसी									
2	मौ०बा०नि० ख०-1 महोबा	4183/2016	मुहम्मद याकूब	श्री पी०डी०वर्मा प्रमुख अभियन्ता	46682/2015	रिट याचिका संख्या-46682/2015 मुहम्मद याकूब बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु दायर की गयी है जिसको मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण करते हुये दिनांक 12.08.2015 को आदेश पारित किया।	27.03.2019	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अवमाननावाद संख्या-4183/2016 मो० याकूब बनाम श्री पी०डी० वर्मा, प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उ०प्र० व अन्य के सम्बन्ध में श्री अखिलेश कुमार सिंह अधिशासी अभियन्ता मौदहा बांध निर्माण खण्ड-प्रथम द्वारा अवमाननावाद में मा० उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का प्रतिशपथ-पत्र दिनांक-27.03.2019 को दाखिल किया जा चुका है। सुनवाई की तिथि अप्राप्त है।	-
3	सिंचाई निर्माण खण्ड मऊ रानीपुर	269/2019	श्री आलोक सिंन्हा	श्री टी० वेंकटेश	4556/18	वाद एरच बांध में की गई अनियमितताओं से दोषमुक्त करने के सम्बन्ध में है। जिसकी सुनवाई की तिथि-09.05.2019 है।	21.02.2019	यह वाद श्री आलोक सिंन्हा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के निलम्बन से सम्बन्धित है जिसकी आगामी तिथि 08.07.2019 निर्धारित की गयी है।	
मुख्य अभियन्ता (राम गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० कानपुर।									

क्र० सं०	मण्डल/ खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	सिंचाई कार्य मण्डल कानपुर	नोटिस सं०-1963/2019	शफुद्दीन खॉ	श्री राजेश मिश्रा व सरकार	-	सेवा सम्बन्धी	-	अवमानना नोटिस संख्या 1963/2019 शफुद्दीन खॉ बनाम श्री राजेश मिश्रा व सरकार में सुनवाई की तिथि 30.04.2019 निर्धारित है शासकीय अनुमति दिनांक-23.04.2019 को प्राप्त हुई है तदनुसार प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।	सेवा सम्बन्धी
5	अधीक्षण अभियन्ता निर्माण मण्डल कानपुर	सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या-32870/2018	श्रीमती संगीता चढढा	श्री टी० वैकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई	-	मुआवजा सम्बन्धी	-	श्री टी० वैकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई में शासकीय अनुमति हेतु प्रकरण प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में प्रेषित किया गया था जिसमें शासन द्वारा कुछ सूचना की वांछना की गयी है। तहसील/जिला स्तर से सूचना प्राप्त कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है।	
मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, वाराणसी।									
6	चन्द्रप्रभा प्रखण्ड मुगलसराय	145/सी/2019	गुलाब चन्द्र सोनकर	श्री टी० वैकटेश प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं अन्य	3800/2018	पेंशन आदि के सम्बन्ध में	-	उक्त अवमाननावाद में प्रस्तरवार नैरेटिव इस कार्यालय के पत्र संख्या-2868/सोन/दिनांक-24.04.2019 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (जांच अनुभाग) को प्रेषित कर दिया गया है।	
मा०राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।									
मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।									
1	चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	32/2017	शिव दास, जूनियर इंजीनियर	प्रमुख सचिव सिंचाई व अन्य	2052/2014	दण्डादेश के सम्बन्ध में।	-	अवमाननावाद संख्या-32/2017 शिवदास बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-678/27-6-19-01, निया/15 दिनांक-18.02.2019 द्वारा दण्डादेश समाप्त कर दिया गया है। देयकों के भुगतान हेतु संबंधित खण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या-565/दिनांक-03.05.2019 द्वारा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, सरयू परियोजना-02, सिंचाई कालोनी, गोण्डा को लिखा गया है। भुगतान की कार्रवाई उन्ही के स्तर से की जानी है। उपरोक्त अवमाननावाद में दिनांक-29.05.2019 की तिथि नियत है।	
2		59/2018	रामसेवक, वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता	श्री टी० वैकटेश प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं अन्य	572/2012	वैयक्तिक वेतनमान के सम्बन्ध में।		अवमाननावाद संख्या-59/2018 रामसेवक बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश के क्रम में भुगतान की कार्यवाही की जानी है। इनके बीजक के भुगतान हेतु अधी०अभि० अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल, प्रयागराज को पत्र लिखा गया है। भुगतान की कार्यवाही उन्हीं के स्तर से की जानी है। उपरोक्त अवमाननावाद में दिनांक-14.05.2019 की तिथि नियत है।	

क्र० सं०	मण्डल/ खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी	76/2019	राम बचन सिंह, सहायक अभियन्ता	श्री टी० वेंकटेश प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं अन्य	2136/2018	ए०सी०पी० के संबंध में	-	प्रमुख अभियन्ता (ई-2) ने अपने पत्र संख्या-1480/ई-2, ए०सी०पी० दिनांक-03.05.2019 द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि प्रकरण का परीक्षण वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ से कराया गया। श्री राम बचन सिंह की विभाग में तदर्थ नियुक्ति की गयी थी इन्हें दिनांक-22.03.1983 को अवर अभियन्ता के पद पर विनियमित किया गया। सेवा पुस्तिका में इन्हें समयमान वेतन संबंधी लाभ तदर्थ सेवा को जोड़ कर दिये गये हैं, जो शासनादेशों एवं नियमों विरुद्ध है। प्रकरण में आगामी सुनवाई की तिथि	
मुख्य अभियन्ता (राम गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० कानपुर।									
4	बैराज निर्माण मण्डल कानपुर	413/2014	अशोक कुमार शर्मा से०नि० मुख्य अभियन्ता	-	326/2014	सेवा सम्बन्धी	-	अधि० अभि० द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री अशोक कुमार शर्मा से०नि० मुख्य अभियन्ता द्वारा नेशनल प्रोन्नत हेतु वाद संख्या-326/2014 एवं अवमाननावाद संख्या-413/2014 में पारित निर्णय के अनुसार अपील किये जाने हेतु प्रकरण न्याय अनुभाग में है अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही	
5	सिंचाई कार्य मण्डल इटावा	359/2017	बालेश्वर त्यागी	श्री सुरेश चन्द्र प्रमुख सचिव (सिंचाई) एवं श्री भूपेन्द्र शर्मा प्रमुख अभियन्ता	-	सेवा सम्बन्धी	-	वाद संख्या-359/2017 बालेश्वर त्यागी बनाम श्री सुरेश चन्द्र प्रमुख सचिव (सिंचाई) एवं श्री भूपेन्द्र शर्मा प्रमुख अभियन्ता में मा० लोकसेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालना कर दी गयी है सुनवाई की तिथि से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु अधि०अभि० एवं पैरोकार सिंचाई खण्ड औरैया, को निर्देशित कर दिया गया है।	

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ)

मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र० स०	माह जनवरी 2012 से माह मई-2019 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह माह मई-2019 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1374	1065	2439	1274	959	2233	78	39	117	22 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 67 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 22+67=89

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन
 मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना
 विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र० सं०	संगठन का नाम	माह जनवरी 2012 से माह मई 2019 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह मई 2019 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
		इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	अग्रिम नियोजन, लखनऊ	1	20	21	1	19	20	0	1	1	
2	परिकल्प, लखनऊ	0	11	11	0	10	10	0	1	1	
3	अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) लखनऊ	0	4	4	0	3	3	0	1	1	-
4	अनुश्रवण एवं समन्वय, वाह0 सहा0 परियोजना, लखनऊ	3	7	10	3	5	8	0	1	1	01 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
5	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	गण्डक, गोरखपुर	81	25	106	70	24	94	11	1	12	-
7	शारदा सहायक, लखनऊ	59	216	275	50	142	192	2	18	20	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 07 वादों में तथा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 56 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (07 + 56=63)
8	मध्य गंगा अलीगढ़	163	25	188	163	25	188	0	0	0	-
9	सरयू-प्रथम, अयोध्या	3	121	124	3	114	117	0	2	2	1-02 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 2-03 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।

10	पूर्वी गंगा मुरादाबाद	81	13	94	70	12	82	1	1	2	1-मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 10 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
11	परियोजना बेतवा, झांसी	81	11	92	80	11	91	1	0	1	-
12	जल संसाधन लखनऊ	3	3	6	3	3	6	0	0	0	
13	रामगंगा कानपुर।	143	15	158	139	14	153	4	1	5	
14	शारदा बरेली	53	131	184	51	126	177	2	4	6	एक वाद में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा लोक निर्माण विभाग को क्रियावयन हेतु आदेश पारित करते हुए दिनांक 30.11.2018 को डिस्पोज कर दिया गया।
15	बाणसागर, प्रयागराज	18	3	21	14	3	17	4	0	4	
16	सोन वाराणसी	171	5	176	153	5	158	18	0	18	-
17	सरयू-द्वितीय, गोण्डा	19	32	51	17	31	48	2	1	3	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।
18	बेतवा, झांसी	40	8	48	40	8	48	0	0	0	-
19	गंगा, मेरठ	11	0	11	1	0	1	10	0	10	-
20	कनहर, मिर्जापुर	10	1	11	9	1	10	1	0	1	-
21	आई0एस0ओ0, लखनऊ	0	2	2	0	1	1	0	0	0	माह 01/2012 से माह 05/2019 तक मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या 02 है जिसमें 01 वाद रिट याचिका संख्या- 3650/ एस0एस0/2012 श्रीमती प्रतिभा, कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा दाखिल किया गया था, में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 07.08.2014 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। आदेशों की अनुपालना शासन के सिंचाई अनुभाग-1 द्वारा की जानी है। शपथ पत्र दाखिल की सूचना दी गयी है। इसके अतिरिक्त 01 वाद विभाग की ओर से रिट याचिका संख्या-17118/एस0बी0/2016 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम श्री एम0पी0 सक्सेना व अन्य दाखिल किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा इस रिट याचिका में दिनांक 03.02.2017 को निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन कर दिया गया है। चूंकि यह वाद विभाग की ओर से दाखिल किया गया है, अतः शपथ पत्र दाखिल करने की सूचना नहीं दी गयी है। 01 वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।

22	निदेशक जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान लखनऊ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	-
23	यमुना ओखला, नई दिल्ली	9	3	12	0	0	0	4	1	5	05 वाद मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एवं 02 वाद मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (कुल 5+2=7)
24	राज्य अभियंत्रण एकादमी, ओखला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
25	नलकूप मध्य, लखनऊ	95	157	252	90	156	246	5	1	6	-
26	नलकूप पश्चिम, मेरठ	134	86	220	131	86	217	3	0	3	-
27	नलकूप, वाराणसी	139	24	163	134	23	157	5	1	6	-
28	नलकूप, पूर्व अयोध्या	32	123	155	27	120	147	5	3	8	-
29	सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	25	18	43	25	16	41	0	1	1	मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ में 01 वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अयोध्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	योग	1374	1065	2439	1274	959	2233	78	39	117	22 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 67वादा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 22+67=89

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिसासी अभियनता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियनता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियनता(विधि प्रकोष्ठ)

